भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2496

06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः सोयाबीन के लिए एमएसपी

2496. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करने का प्रस्ताव है क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध कराया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत कम है और महाराष्ट्र राज्य के वाशिम क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है जहां उक्त फसल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और हितधारक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से सोयाबीन सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अंतरफसल मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, इसके अलावा यह भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का मुनाफा सुनिश्चित करता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान सोयाबीन के लिए एमएसपी का ब्यौरा निम्नानुसार है।

सोयाबीन का एमएसपी (फसल वर्ष के अनुसार) (₹ प्रति क्विंटल)

जिंस	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सोयाबीन (पीला)	3880	3950	4300	4600	4892

*****